रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आंवटन

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के प्रावधानों में संशो0 कर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दरों (2 रूपये से 10 रूपये, प्रति वर्ग मीटर) पर आंवटित किये जा सकेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के निम्नांकित कमजोर वर्गों के ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं हो, पात्र होंगेः–

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार
- स्वच्छकारों व पिछड़े वर्गों के परिवार
- ग्रामीण कारीगर (आर्टिजन के परिवार)
- श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन परिवार
- विकलांग व्यक्ति
- गाडिया लुहार, यायावर (घुमक्कड) जनजातियों के परिवार
- ऐसे बाढ़ग्रस्त परिवार जिनके गृह बाढ़ में बह गये हैं या गृह या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं।
- सरहद पर पूर्व सैनिक

पात्र परिवार के उन परिवारों को प्राथमिकता दी जावेगी जिन्होंने परिवार नियोजन को स्थायी रूप से अपना लिया है। उपरोक्त पात्र परिवारों के वयस्क विवाहित पुत्र जो इनके साथ एक ही स्थान पर रहता है किन्तु अब वह पृथक से रहने की इच्छा रखता है, तो जिसके पास कृषि भूमि या अन्य स्थान पर स्वयं का कोई आवासीय भूखण्ड अथवा मकान न हो तो वह भी भूखण्ड पाने का पात्र होगा।

निःशुल्क आवासीय भू–खण्ड आवंटन– पंचायतों को सशक्त करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे (बी.पी.एल. में चयनित) परिवारों, घुमक्कड भेडपालकों के परिवारों को निःशुल्क भू–खण्ड आवंटन करने की शक्तियां पंचायतों को दिये जाने हेतु नियम 158 में संशोधन के आदेश दिनांक 9.4.07 एवं 18.6.07 को जारी कर दिये गये है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अंतर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे, कब्जों के आधार पर जारी करने का प्रावधान था। अब राज्य सरकार ने नियम 157 में दिनांक 9.4.07 से संशोधन कर दिया गया है। गाँवों में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए कोई भू–खण्ड नहीं है लेकिन उन्होंने वर्ष 1996 के बाद आबादी भूमि पर झौंपड़ी अथवा टापरी का निर्माण कर लिया है। ऐसे परिवार जिनके पास न कोई भू–खण्ड है और न ही कोई अन्य मकान है, उनके वर्ष 2003 तक के कब्जे नियम 157 (2) के तहत निःशुल्क नियमित कर दिये जायेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नियमन करने पर पट्टे अब केवल महिलाओं के नाम से ही जारी किये जायेंगे।

रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आंवटन की वर्षवार प्रगति निम्नानुसार हैः–

वर्ष	लक्ष्य	अ.जाति	अ.ज.जाति	अन्य	योग
2003–2004	30000	15446	6625	12984	35055
2004–2005	30000	16255	7958	15897	40110
2005–2006	30000	12860	6721	12014	31595
2006–2007	32000	13681	9840	13913	37434
2007–2008	17000	8098	5211	10255	23564
2008–2009	17000	5851	2971	7993	16815
2009–2010	17000	4923	2561	5952	13436

नियम 158 के तहत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन की वर्षवार प्रगति निम्नानुसार हैः–

वर्ष	लक्ष्य	अ.जाति	अ.ज.जाति	अन्य	योग
2007–2008	13000	4265	3033	7718	15016
2008–2009	13000	6175	4473	9369	20017
2009–2010	13000	5387	3194	5755	14336

नियम 157 के तहत पुराने भवनों के पट्टे जारी करने की वर्षवार प्रगति निम्नानुसार हैः–

वर्ष	अ.जाति	अ.ज.जाति	अन्य	योग
2007–2008	12238	6266	29876	48380
2008–2009	8116	4297	16120	28533
2009–2010	6888	3826	3439	24153

नियम 157(2) के तहत कब्जों के आधार पट्टे जारी करने की वर्षवार प्रगति निम्नानुसार हैः–

वर्ष	अ.जाति	अ.ज.जाति	अन्य	योग
2007–2008	6468	4215	12206	22889
2008–2009	5232	3386	11627	20245
2009–2010	4272	2697	7693	14662

ग्राम पचांयतों द्वारा दिये जाने वाले भूखण्डो में से 30 प्रतिशत विधवा/निराश्रित महिलाओं को आवंटित करने बाबत नियमों में संशोधन कर दिया गया है।